भारत में दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा संबन्धित सरकारी नीतियां: लखनऊ शहर के चयनित विश्वविद्यालयों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

Government Policies for Higher Education of Differently Abled People in India : A Sociological Study of Selected Universities in Lucknow City

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से
समाजशास्त्र विषय में
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोधार्थी

दुर्गा प्रसाद यादव

नामांकन संख्या–1226/19

शोध निर्देशक

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे

समाजशास्त्र विभाग

समाजशास्त्र विभाग
सामाजिक विज्ञान हेतु अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (नैकः A^{++} ग्रेड प्राप्त)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025 (उ०प्र०)

2024

शोध सारांश

यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक जनसंख्या के लगभग 650 मिलियन लोग, या कुल जनसंख्या का पन्द्रह प्रतिशत लोग विकलांग हैं, (डब्ल्यू0एच0ओ0, वर्ल्ड बैंक 2011) । साथ ही वैश्विक स्तर पर कुल दिव्यांग आबादी का लगभग 80 प्रतिशत विकासशील देशों में रहते है, (प्राइस, 2003, संयुक्त राष्ट्र, 2006)। निशक्तजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी व्यक्ति को सामाजिक–आर्थिक रूप से शसक्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के प्रति दिव्यांजनों में विचार धारा और अनुभव उनके सामाजिक–सांस्कृतिक अनुभवों और मौजूदा आवश्यक विशिष्ट ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े होते हैं। दिव्यांगजनों का अनुभव उनकी, व्यक्तिगत परिस्थितियां, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य बाहरी कारकों के आधार पर भिन्न–भिन्न होती है। इसी प्रकार, विकलांग छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में उभरती हुई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनकी उच्च शिक्षा के प्रति धारणाएं और अनुभव उनके सामाजिक– सांस्कृतिक अनुभवों और मौजूदा आवश्यक विशिष्ट ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े होते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों पर तुलनीय रूप से बहुत कम अध्ययन किया गया है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के प्रसार को देखते हुये निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले दिव्यांग विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले तो रहे है। किन्तु उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के समय भी उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रवेश लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन कक्ष में अपने आप को समायोजित करने के साथ ही सामाजिक अंतःकिया करने में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होता है। इन छात्रों में आत्मविश्वास की कमी होती है जिसका उत्तरदायी कहीं न कहीं समाज ही होता है। आज भी इनकी सहभागिता उच्च शिक्षा के स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में बहुत कम देखने को मिलती है।

प्रस्तुत अनुसंधान का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों से है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग छात्रों के सामाजिक और शैक्षिक

अनुभव को प्रभावित करने वाले बाधाओं तथा सम्बंधित नीतियों के क्रियान्वयन का पता लगाना है।

मिस्त्री (2012) ने अपने अध्ययन में *'स्टडी ऑफ स्टुडेंट विथ डिसेबिलिटी इन यूनिर्वसिटी ऑफ गुजरात'* में बताया कि अधिकतम विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई सुविधा नहीं ळें **जमील एस.एस.(2011)** ने अपने लेख *''डिसेबिलिटी इन द कानटेक्स्ट ऑफ हॉयर एजुकेषन : इसुज एण्ड कर्न्सन इन इंडिया''* में दिव्यांगजनों का उच्च शिक्षा में समावेशन करने के लिए बनायी गयी नीतियों व उनसे सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इस लेख में 'जमील' ने बताया कि जितनी भी योजनायें बनायी गयी हैं, वह पूर्ण व प्रभावी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं हो पायी हैं। वहीं **वसीम** अपने लेख *"हॉयर एजुकेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन इंडिया चैलेंजेस एण्ड कर्न्सन"* में बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से चलाई गयी योजनायें, *"हॉयर एजुकेषन फॉर पर्सन विथ स्पेशल नीड्स"* व उनके क्रियान्वयन के बीच एक दूरी अभी भी बनी हुई है।

दिव्यांगजन व उच्च शिक्षा से सम्बन्धित किये गये अध्ययनों की समीक्षा करने पर इस तथ्य का पता चलता है कि जितने भी दिव्यांगजनों से सम्बन्धित नीति या कानून बनाये गये हैं, वह बहुत कुछ मायनों में असफल रहे हैं। किसी भी दिव्यांग संबंधी साहित्य में राज्य की नीतियों का तीन अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक साथ अध्ययन का बोध नहीं किया गया है। अतः इसका अध्ययन करने व समझने की आवश्यकता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। जिसके लिए यह शोध लखनऊ शहर में स्थित तीन अलग–अलग विश्वविद्यालयों (दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय व केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का अध्ययन कर राज्य की नीतियों का दिव्यांगजनों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा।

समस्या का कथन :

दिव्यांगजनों के लिए बनायी गयी नीतियों (विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, यू0एन0सी0आर0पी0डी0,2007) को अपनाने की दिशा में तो संस्थायें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन से सम्बन्धित

चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। उच्च शिक्षा में दिव्यांगजन तमाम प्रकार की समस्याओं जैसे, न्यूनतम प्रतिबन्धित पर्यावरण, परिवहन की उचित व्यवस्था का न होना, सीखने के संसाधन व पुस्तकालय जैसे स्थानों पर पहुंच सुनिश्चित न हो पाना आदि का सामना करना पड़ता है। शैक्षिणिक संस्थानों में कार्यरत कुछ लोगों के द्वारा दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार दिव्यांगों को सबसे अधिक हतोत्साहित कर देता है। जो एक समस्या बना हुआ है। समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग इन्ही स्थानों पर कार्य करता है, किन्तु इस प्रकार की रूढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाता है। तत्पश्चात् आम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उच्च शिक्षा में दिव्यांगों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान होने के बावजूद भी उनका प्रतिनिधित्व व्यावहारिक रुप में आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। इन तमाम समस्याओं को शोध के दौरान देखने का प्रयास किया गया है।

शोध उद्देश्य

- **प्रथम उद्देश्य :** भारत में दिव्यांगजन तथा संबंधित सरकारी नीतियों का अध्ययन करना।
- **द्वितीय उद्देश्यः** विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- **तृतीय उद्देश्य :** विश्वविद्यालयों द्वारा दिव्यांग छात्र –छात्राओं को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं का अध्ययन करना।
- **चर्तुथ उद्देश्य :** सरकारी नीतियों का विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना शामिल है।

प्रस्तुत अध्ययन में सैध्दांतिक परिप्रेक्ष्य के लिए 'क्षमता दृष्टिकोण' का उपयोग इस अध्ययन की अवधारणा और मार्गदर्शन के लिए किया गया है। क्षमता उपागम के विभिन्न घटक और इस अध्ययन के लिए इसके निहितार्थ कार्यप्रणाली संबंधी अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत शोध में आलोचनात्मक सिद्धांत द्वारा दिव्यांगजन से सम्बन्धित सरकार की नीतियों का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही उनके कमियों

को उजागर किया गया है। साथ ही विकलांगता के अलग–अलग मॉडलों में से विकलांगता के सामाजिक मॉडल को लिया गया है। जो इस अध्ययन के लिए अवधारणात्मक ढांचे की नींव बनाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि विकलांगता केवल एक व्यक्तिगत हानि नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक रूप से संरचित किया गया है। जो संरचनाओं और बाधाओं से निर्मित होती है। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और उच्च शिक्षा में समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

शोध पद्धतिः

अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 'वर्णनात्मक अनुसंधान विधि' का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया गया है। इसलिए यह अध्ययन मिश्रित विधि अभिकल्प पर आधारित है। गुणात्मक और मात्रात्मक आकड़े दोनों एक ही समय में एकत्र किये गए है। साथ ही इसके तथ्यों के विश्लेषण को दो चरणों में में बांटा गया है। पहले चरण में तथ्यों का अलग–अलग विश्लेषण किया गया है तथा दूसरे चरण मे मात्रात्मक और गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण की तुलना की गयी है। अध्ययन क्षेत्र का चयन सोद्देश्य प्रतिचय विधि से किया है। वहीं उत्तरदाताओं का प्रतिचयन स्नोबाल प्रतिचयन विधि से किया गया है। अध्ययन के प्रतिचयन के लिए दो प्रकार के साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। जिसमें पहला मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक विश्लेषण के लिए। हालाँकि गुणात्मक विश्लेषण के लिए संकाय सदस्यों और 25 दिव्यांग विद्यार्थियों का एक उप–प्रतिचयन है। जो मात्रात्मक विधि से चुने गए उत्तरदाताओं में से है। तथ्य संकलन करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। जबकि गुणात्मक तथ्य 25 उत्तरदाताओं से गहन साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किये गये है।

तथ्यों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए वर्णानात्मक आकडे रेखाचित्र एवं काई–स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया गया है और गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण करना एक जटिल कार्य है। तथ्यों के विश्लेषण में अनुसन्धान के विषय के

संबंध में चुनौतियों और प्रत्येक उत्तरदाता की प्रतिक्रिया का एक विस्तृत विवरण विकसित करना सामिल होता है। इसमें गुणात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण एक साथ सामिल है।

प्रस्तुत अध्ययन में समस्या का कथन एवं शोध उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया गया है। जिसकों अध्ययन के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जांचा गया है। **प्रथम परिकल्पना : आर्थिक व शैक्षिक रुप से पिछड़े परिवार के दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है।** अधिकतर दिव्यांग विद्यार्थी कम आय वाले परिवारों से संबंध रखते है। जो कि तालिका 4.9 में में अवलोकित हो रहा है। वही अधिकांश विद्यार्थियों की पारिवारिक आय की स्त्रोत कृषि, दिहाड़ी मजदूरी एवं प्राइवेट नौकरी है। जैसा की तालिका 4.10 में संदर्भित हो रहा है। अधिकतर दिव्यांग छात्रों के पिता की शैक्षिक स्थिति माध्यमिक स्तर तक एवं वही अधिकांश दिव्यांग विद्यार्थियों की माता अशिक्षित है, जो तालिका 4.11 तथा 4.12 से स्पष्ट हो रहा है। अध्याय चतुर्थ में मिले तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत अधिकतर उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके कारण उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिससें यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम परिकल्पना सही है।

द्वितीय परिकल्पना : ज्यादातर विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्र–छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सुविधायें संतोषजनक नहीं है। अध्याय पांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डी0एस0एम0यू0 को छोड़कर शेष दोनों (बी0बी0ए0यू0 एवं एल0यू0) विश्वविद्यालयों के अधिकांश भवनों में दिव्यांगजनों के लिए संरचनात्मक बाधायें अभी भी बनी हुयी है। अधिकतर भवनों के अन्दर दिव्यांग विद्यार्थियों से सम्बंधित बुनियादी सुविधाओं (जैसे, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय एवं परिसर के अन्य भवनों तक पहुँच, शौचालय, पीने योग्य नल तक पहुँच, साफ सफाई, रैम्प लिफ्ट की सुविधा का उचित व्यवस्था का न होना) का अभाव है। अधिगम सहायक उपकरण जो दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक होते है, का भी आभाव है। जबकि डी0 एस0 एम0 यू0

एक विशेष विश्वविद्यालय होने के कारण वहां पर ढांचागत सुविधाए तो उपलब्ध है।लेकिन एक विशेष विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वैसे नहीं है। साफ सफाई की बहुत समस्या है। पाठन–पाठन से संम्बंधित सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बाकि सामान्य विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल सुविधाए उपलब्ध नहीं है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि द्वितीय परिकल्पना सत्य होती है।

तृतीय परिकल्पना : ज्यादातर विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्र–छात्राओं के अनुकूल सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रहें हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण एवं ढांचागत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके परिणाम स्वरुप इन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होता है। विश्वविद्यालय परिसर में संकाय सदस्यों और दिव्यांग विद्यार्थियों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि तृतीय परिकल्पना भी सत्य है।

चतुर्थ परिकल्पना : दिव्यांगजनों के लिए बनायी गयी ज्यादातर नीतियॉ उनके उत्थान में कुछ हद तक सहायक हो पायी हैं। तृतीय अध्याय एवं षष्ठम अध्याय से मिले तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के उन्नति के लिए विभिन्न प्रावधान एवं नीतियों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा चलाये जा रहे सामान्यतः इन योजनाओं के संबंध में दिव्यांगजनों में जागरूकता का अभाव है। जिसके फलस्वरूप उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। अतः भारत सरकार और यू0 जी0 सी0 द्वारा चलायी जा रही योजनाएं और नीतियों का विश्वविद्यालय परिसर में क्रियान्वयन बहुत कम हुआ है। जिसका लाभ दिव्यांग विद्यार्थियों पर बहुत कम देखने को मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चतुर्थ परिकल्पना सही है।

सरकारी नीतियाँ वं दिव्यांगजन :

प्रस्तुत अध्ययन में दिव्यांगजनों से सम्बंधित नीतियों का अध्ययन किया गया है। जिसके अंतर्गत जानने का प्रयास किया गया है कि सरकारी नीतियाँ कैसे दिव्यांग जनों का उच्च शिक्षा में समावेशन कर रही है। अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जितने

भी प्रयास किये गए है। वे सभी दिव्यांजनों को उच्च शिक्षा में समावेशित करने एवं उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करने में प्रसांगिक रहे है। वैश्विक स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राईट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी (2007) रही है। जिसमें दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों से संबन्धित एक अंतराष्ट्रीय संधि है। जिसमे विकलांगों के सभी प्रकार के मानवाधिकारों को संरक्षित करने की चर्चा की गयी है। जबकि भारत में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के सभी प्रकार के शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। वहीं भारतीय संविधान दिव्यांग व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। जिसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। जिसके अनुपालन एवं दिव्यांग जनों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्णयों के माध्यम से उनके शैक्षिक अधिकारों की रक्षा कि गयी है। निशक्तजनों से संबंधित नीतियों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यू0 जी0 सी0 द्वारा एक निर्देशिका जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत दिव्यांग जनों को उच्च शिक्षा में समावेशित करने के लिए दिशानिर्देश दिया गया है।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि :

उत्तरदाताओं में उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उनकी लिंग, धर्म, जाति, पारिवारिक आय व पारिवारिक व्यवसाय के साथ साथ उत्तरदाताओं के दिव्यांगता के संबंध में तथ्य संकलन किया गया है। उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के पास अलग–अलग प्रकार की चुनौतियां होती है जिसको जानने के लिए सामाजिक–आथिक चर का विशेष महत्त्व है। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या महिला उत्तरदाताओं से अधिक है। क्योंकि दिव्यांग महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय परिसर में कम है। अधिकांश उत्तरदाता 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के है। वहीं इस आयु वर्ग के अधिकांश उत्तरदाता डी0 एस0 एम0 यू0 में अध्ययनरत थे। अतः सामान्य छात्रों की तुलना में विकलांग छात्र अपनी शिक्षा देर से शुरू करते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय

में उन्हें प्रवेश भी थोड़ी देर से ही मिलता है। लिंग के आधार पर प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि शेष दोनों विश्वविद्यालयों की तुलना में डी0 एस0 एम0 यू0 में महिला उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है। क्योकि वहां पर समावेशी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित लगभग आधे उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखते है। जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर एल0 यू0 में सबसे अधिक 52.0 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से है। जबकि सबसे कम 1.4 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते है। वही हिन्दू धर्म से संबंधित उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

प्रस्तुत शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आधे से अधिक उत्तरदाता ओ० एच० (आर्थोपेडेकली हैंडीकैप) है। जबकि विश्वविद्यालय स्तरपर बी0 बी0 ए0 यू0 में सबसे अधिक उत्तरदाता ओ0 एच0 श्रेणी से संबंध रखते है। वही दृष्टिबाधित से संबधित उत्तरदाताओं की सबसे अधिक संख्या डी0 एस0 एम0 यू0 में है। अधिकांश उत्तरदाता में शारीरिक दिव्यांगता 75.0 प्रतिशत है। अधिकांश उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर स्नातक है।

प्रस्तुत अध्ययन के प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण अंचल से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के लिए आते है। जिनकी पारिवारिक आय 5000–8000 रूपये के बीच है। अतः प्रस्तुत शोध से प्राप्त आकड़ो से स्पष्ट हो रहा कि सामान्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांगजनों के पिता की शैक्षिक स्तर विकलांग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की पिता से अच्छा है। वही अधिकांश उत्तरदाताओं की माता अशिक्षित है। लिंग और जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि, उच्च शिक्षा में सबसे अधिक पिछड़ी जाति के दिव्यांग पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व है तथा दिव्यांग महिला उत्तरदाताओं में सबसे अधिक सामान्य जाति से संबंध रखती है।

विश्वविद्यालय एवं दिव्यांजन संबन्धित उपलब्ध सुविधाएँ :

प्रस्तुत अध्ययन में विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित से सुविधाओं का अध्ययन किया गया है। जो दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा

प्राप्त करने में संरचनात्मक बाधा उत्पन्न कर रहे है। दो तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य भवनों के प्रवेश द्वार पर दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन तीनों विश्वविद्यालयों में सबसे बेहतर सुगम्य प्रवेश द्वार डी0 एस0 एम0 यू0 उपलब्ध है। क्योंकि यह एक विशेष विश्वविद्यालय है। शोधार्थी ने अपने अवलोकन में पाया कि बी0 बी0 ए0 यू0 एवं एल0 यू0 में अधिकांश भवनों में भूमि तल को छोड़कर अन्य तलों पर व्हील चेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांग छात्रों के अनुकूल प्रवेश द्वार नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में बी0 बी0 ए0 यू0 परिसर में स्थित एक भवन को छोड़कर किसी भी भवन के किसी भी तल पर डिसेबल्ड फ्रेंडली शौचालय नहीं है। जिसमे दिव्यांगजन व्हील चेयर सहित जा सकें। कुछ ऐसा ही स्थिति एल0 यू0 में भी है। सबसे बेहतर सौचालय सुविधा डी0 एस0 एम0 यू0 में है। जहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थियों की सुगम्य पहुँच है। वही तीनों विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्राओं के अनुकूल शौचालय सुविधा नहीं है। इन उत्तरदाताओं ने बताया कि शौचालयों में सबसे अधिक समस्या साफ–सफाई की है।

प्रस्तुत शोध में एक–तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल के स्थान पर दिव्यांगजनों की सुगम्य पहुँच है। जबकि बी0 बी0 ए0 यू0 में 40.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा की पीने योग्य पानी के नल तक दिव्यांग छात्रो की पहुँच नहीं हो पाती है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग विद्यार्थी पैदल चलते हैं। इन उत्तरदाताओं के पास विश्वविद्यालय परिसर में चलने के लिए किसी प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। बी0 बी0 ए0 यू0 एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। वही डी0 एस0 एम0 यू0 में दिव्यांग छात्रों के लिए वैश्विक स्तर का खेलकूद मैदान बनाया गया है। जिसमें ये छात्र सामान्य छात्रों के साथ खेलकूद में सहभागिता करते है। जबकि अन्य दोनों (बी0 बी0 ए0 यू0 एवं एल0 यू0) विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। शोध अध्ययन में यह भी पाया गया है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेललिपि संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अध्येता ने क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान अपने अवलोकन में

पाया कि सभी तीनो विश्वविद्यालयों में बी0 बी0 ए0 यू0 एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसमे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता का ब्रेल कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता थी। जबकि डी0 एस0 एम0 यू0 के एक विशेष विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उसमें उच्च गुणवत्ता युक्त ब्रेल कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता का आभाव है। जबकि वहां पर सबसे अधिक दृष्टिबाधित छात्र अध्ययन करते है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लेखक की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। इस प्रकार की समस्या लगभग दोनों विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर व्याप्त है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में उपलब्ध आकड़ों से स्पष्ट होता है कि डी0 एस0 एम0 यू0 एक विशेष विश्वविद्यालय होने के कारण वहां पर दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए समावेशी ढांचागत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जिसमे सभी प्रकार के दिव्यांगजनों का समावेशीकरण किया जा सके। वहीं बी0 बी0 ए0 यू0 एवं एल0 यू0 में समावेशी ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। जिसमें सभी प्रकार के दिव्यांग छात्रों को समावेशित नहीं किया गया है।

दिव्यांग छात्र–छात्राओं पर सरकारी नीतियों का प्रभाव एवं उच्च शिक्षा में समावेशीकरण

प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए किये गए प्रयास के अतिरिक्त सामान्य नीतियों और योजनाओं का अध्ययन दिव्यांगजनों के दृष्टिकोण से किया गया है। जो दिव्यांग जनों का सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक पुनर्वास करने के साथ–साथ उच्च शिक्षा में उनके समावेशन के उद्देश्य से बनायीं गयी है। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि दिव्यांगजनों का उच्च शिक्षा में समावेशीकरण करने के लिए यू0 जी0 सी0 द्वारा अनेक प्रयास किये गए है। लेकिन प्राप्त आकड़ों से अवलोकित होता है कि विश्वविद्यालयों में आधे से अधिक दिव्यांग छात्रों को यू0 जी सी0 द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही आधे से अधिक और दो–तिहाई से कम संकाय सदस्यों को इस योजना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। डी0 एस0 एम0 यू0 को छोड़कर शेष दोनों (बी0 बी0 ए0 यू0 और एल0 यू0) विश्वविद्यालयों में दिव्यांग

छात्रों के अधिकार से संबन्धित किसी प्रकार के इकाई की स्थापना नहीं कि गयी है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत अभियान के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव है। वही दो–तिहाई उत्तरदाताओं ने बताया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के अनुकूल आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुत शोध में प्राप्त आकड़ों से अवलोकित हो रहा है कि यू0 जी0 सी0 द्वारा बनायीं गयी अधिकतर नीतियों का दिव्यांग छात्रों पर सकारत्मक प्रभाव देखने को मिला है। वही आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी नीतियाँ और उसके क्रियान्वयन के बीच अत्यधिक असमानता है। जिनका प्रभाव दिव्यांग छात्रों के ऊपर नकारात्मक रूप से देखने को मिला है। यू0 जी0 सी0 द्वारा बनायीं गयी ज्यादतर नीतियाँ दिव्यांग विद्यार्थ्यों को उच्च शिक्षा से जोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। लेकिन विश्वविद्यालयों द्वारा विकलांगों के प्रति असंवेदनशीलता के कारण उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन को प्रभावित कर रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक और सहपाठी का व्यवहार सकरात्मक है। वहीं एक–तिहाई से कुछ अधिक दिव्यांगजनों का मानना था कि सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी दिव्यांगता के कारण सहभागिता न के बराबर है। एक–चौथाई दिव्यांग छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में उनके साथ किसी न किसी रूप में भेदभाव होता है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति संकाय सदस्यों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों का व्यवहार सकारात्मक है।

अधिकांश संकाय सदस्यों को यूजीसी एवं भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के संबंध में जागरूकता का अभाव है। कुछ संकाय सदस्यों ने बताया की दिव्यांगजनों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कोई भी संकाय सदस्य अभी तक दिव्यांगता से सम्बंधित प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं लिया है। कुछ संकाय सदस्यों का मानना है कि हम लोग दिव्यांग विद्यार्थियों का सहयोग तो करना चाहते है लेकिन हम लोगो की कुछ सीमाएं है जहाँ पर हम लोग

कुछ नहीं कर पाते है। डी0 एस0 एम0 यू0 के अतिरिक्त शेष दोनों (बी0 बी0 ए0 यू0 तथा एल0 यू0) विश्वविद्यालय में स्पेसल शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन में दिव्यांगजनों को लेकर एक प्रकार की असंवेदनशीलता की भावना प्रतीत हो रही है।

वर्तमान समय में जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) पूरे भारत में लगभग लागू हो चुकी है, अपेक्षा है कि आने वाले समय में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालय परिसरों में मूलभूत सुविधाएँ (रैम्प ,लिफ्ट ,सुलभ शौचालय ,सहायक उपकरण, लेखक की सुविधा) उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे विश्वविद्यालय परिसरों में दिव्यांग विद्यार्थोयों संबंधित चुनौतियों को कम किया जा सके। विगत अनुभवों के आधार पर यह देखना होगा कि दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में समावेशन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, यू0जी0सी0, आई0सी0एस0एस0आर0 तथा अन्य सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कितनी प्रभावकारी सिध्द होगी।